

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

दिनांक- 18.2.2020

विषय- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹ 1,24,75,00,000/- (एक अरब चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख रूपए) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

महाशय,


बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 1,24,75,00,000/- (एक अरब चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख रूपए) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की प्रसंग	व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	किशनगंज, बांका, जमुई, भागलपुर एवं बक्सर में 720 आसनवाले (300 आसनवाले छात्रावास भवन सहित) अनुसूचित जनजाति सह शिक्षा (Co-ed) आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य (5 वर्षों के रख-रखाव एवं फर्निशिंग कार्य सहित)	66/10.10.17	₹ 74,90,00,000/- (चौहत्तर करोड़ नब्बे लाख रूपये)
2	एकलव्य मॉडल के अन्तर्गत बेलटाडी, रामनगर (प० चम्पारण) एवं आस्ता, झांझा (जमुई) द्वितीय चरण में 720 आसनवाले आवासीय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य (5 वर्षों के रख रखाव एवं फर्निशिंग कार्य सहित)	82/3.11.17	₹ 2,59,00,000/- (दो करोड़ उनसठ लाख रूपये)
3	अनुसूचित जाति के लिए राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालयों में 720 आसनवाले	80/03.11.17	₹ 47,26,00,000/- (सैंतालीस करोड़

21 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 720 आसनवाले 3 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य (5 वर्षों के रख रखाव एवं फर्निशिंग कार्य सहित)	छब्बीस लाख रूपये)
कुल योग:-	
	1,24,75,00,000.00

(एक अरब चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-0104-अनुसूचित जनजाति के भवन विपत्र कोड-03-4059017960104 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0104.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जायेगा।
7. उक्त राशि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना के पी.एल. खाता संख्या-238, (पी०एल० कोड-सी.एफ.एम.एस. के लिए-PNBPLA007) विपत्र कोड-के. 8448001200017 में स्थानान्तरित किया जायेगा।


विश्वासभाजन,

(अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 1452 (अ)

दिनांक- 18.2.2020


प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अमित कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 1452 (अ)

दिनांक- 18.2.2020

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, संबंधित/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अमित कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।